न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारीः–श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

प्रकरण संख्याः– 10/ 2022

प्रार्थीगणः–

1. विक्रम बुनकर पुत्र गोपाराम जाति मेगवाल निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम
कायम करवाने बाबत् रास्ता

उपस्थित :– **1. श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता प्रार्थी**

–: आदेश :–

दिनांक :–08.02.2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1423/322 रकबा 0.1619 हैक्टयर किस्म मटियाली (मगरा) सरहद मौजा बामसीन पटवार क्षेत्र बामसीन में आई हुई है। जिसमें आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थी के खेत के बदिशा दक्षिण में स्थित विप्रार्थी की खातेदारी की खेत खसरा संख्या 322 रकबा 2.1367 हैक्टयर किस्म मगरा में आवागमन हेतु बदिशा दक्षिण पश्चिम के तरफ मे प्रार्थी के खेत के तरफ दक्षिण में चलता है आगे खसरा सख्या 1130/322 गै.मु.सडक समदडी से विाना डामर सडक पर मिलता है। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम आयी भूमि खसरा संख्या 1423/322 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के लिये है इस भूमि से खसरा संख्या 322 में संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार आयी पेट्रोल पम्प तक के लिये रास्ता के लिये भूमि करीबन 1000 वर्गमीटर आती है मौका पर राजस्व भूमि की किस्म मगरा है जो आज भी मौजूदा रास्ता के रूप में काम आती है उक्त चल रहा रास्ता विप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में होने व सरकारी रेकर्ड में भूमि किस्म मगरा होने व रास्ता घोषित नहीं होने का विप्रार्थी व विप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारी नाजायज फायदा उठाते हुए विप्रार्थी प्रार्थी के साथ रास्ता के उपयोग व उपभोग में आनाकानी करते रहते है जिससे मौजुदा रास्ता की भूमि को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर । मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार समदडी को तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार समदडी द्वारा आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर फर्द मौका 01.02.2022 जरिये पत्रांक राजस्व/2022/65 दिनांक 02.02.2022 को प्रेषित जो शामिल पत्रावली की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 14:03:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

हमने प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। दौराने बहस प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1423/322 रकबा 0.1619 हैक्टयर किस्म मटियाली (मगरा) सरहद मौजा बामसीन पटवार क्षेत्र बामसीन में आई हुई है। जिसमें आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थी के खेत के बदिशा दक्षिण में स्थित विप्रार्थी की खातेदारी की खेत खसरा संख्या 322 रकबा 2.1367 हैक्टयर किस्म मगरा में आवागमन हेतु बदिशा दक्षिण पश्चिम के तरफ मे प्रार्थी के खेत के तरफ दक्षिण में चलता है आगे खसरा संख्या 1130/322 गै.मु.सडक समदडी से सिवाना डामर सडक पर मिलता है। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम आयी भूमि खसरा संख्या 1423/322 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के लिये है इस भूमि से खसरा संख्या 322 में संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार आयी पेट्रोल पम्प तक के लिये रास्ता के लिये भूमि करीबन 1000 वर्गमीटर आती है मौका पर राजस्व भूमि की किस्म मगरा है जो आज भी मौजूदा रास्ता के रूप में काम आती है। अतः माफिक परिशिष्ट 'अ' अनुसार गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर संलग्न तहसलीदार समदडी का मौका फर्द का गहनता से अध्ययन व मनन किया । प्रार्थी के अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251 क स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा संख्या 1423/322 में सरहद मौजा बामसीन पटवार मण्डल बामसीन में आवगमन हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 322 के मध्य से प्रार्थी के खेत के दक्षिणीमाठ से डामर सडक तक सम्पूर्ण भूमि में 25 मीटर लम्बाई व 40 मीटर चौडाई (25 X 40) = 1000 व.मीटर अथवा 0.1000 हैक्टयर में तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार बरंग लाल रास्ता घोषित किये जाने के आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार समदडी को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2022/65 दिनांक 02.02.2022 प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 14:03:46 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 08.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

दिनांक : 27/01/2022 11:24:28 AM

जिला : बाड़मेर

तहसील : समदड़ी

भू. अ. नि. क्षेत्र : राखी

पटवारी हल्का : बामसीन

ग्राम : बामसीन

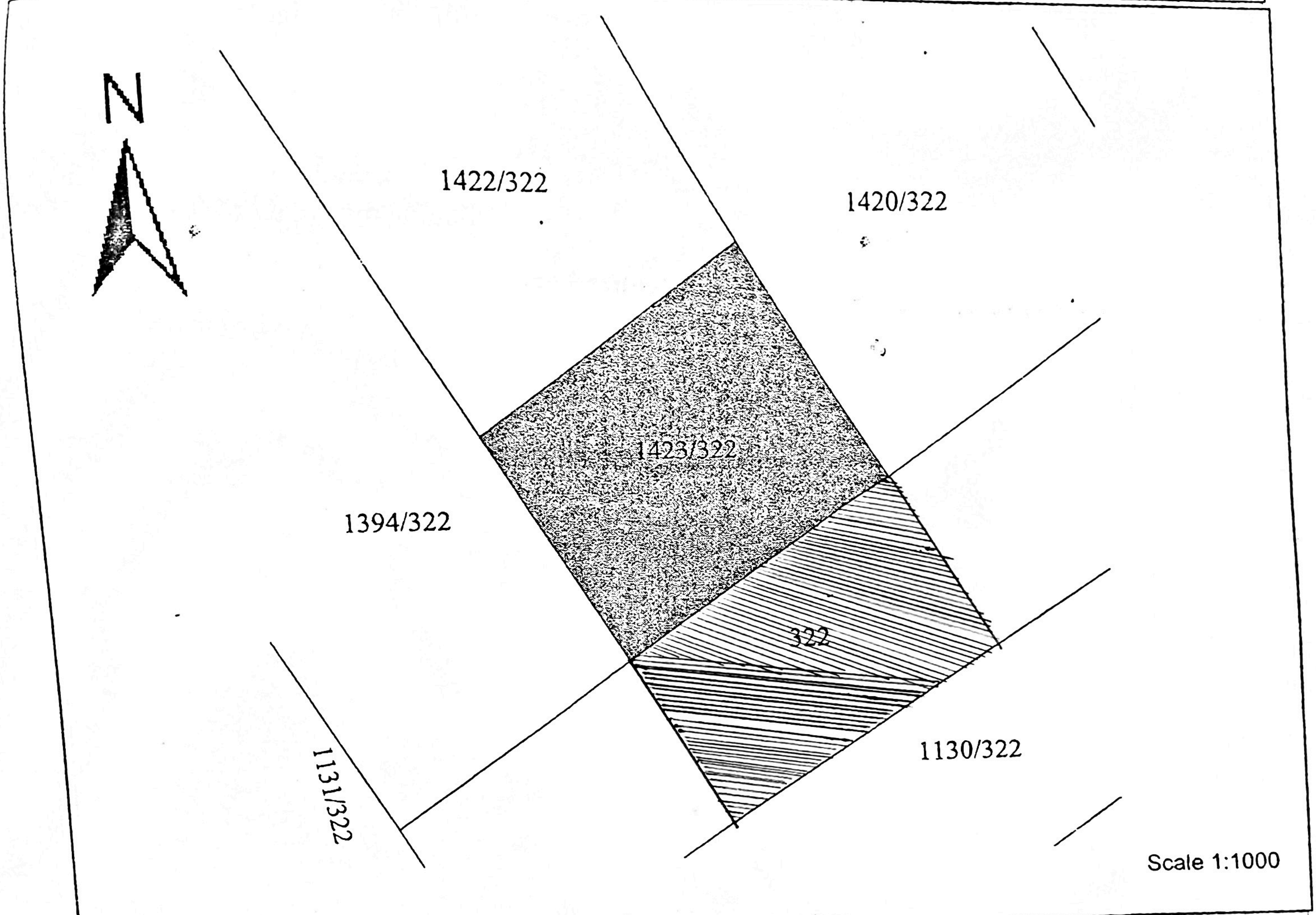

खसरा संख्या :1423/322 क्षेत्रफल : 0.1619 Hectare खाता संख्या : 418पुराना खाता संख्या :480

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: मटियाली [0.1619, 0.69]

1.) विक्रम बुनकर पुत्र गोपाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल सा. समदडी खातेदार

संकेत

प्रस्तावित रास्ता हेतु भूमि

P-35 के क्रमांक 533/27.1.2022

पर दर्ज कर नकल जारी की गई

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

पटवारी हल्का बामसीन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan

Date: 2022.03.10 14:03:46 IST

Reason: SelfAttested

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता। हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि

निरीक्षक

प. बामसीन

उपखण्ड अधिकारी

सिवाना (बाड़मेर)